(62)

पत्र संख्या:अपर आयु0(पुलिस)/ पुलिस कर्मी / उपार्जितअवकाश // 2022-23/ 137 // राज्य कर
कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ
(पुलिस-कैम्प)
दिनाँक :: लखनऊ :: 30 मई, 2022

समस्त,
अपर आयुक्त ग्रेड-2(वि0 अनु0शा0) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि राज्य कर विभाग के कतिपय जोनों द्वारा पुलिस कर्मियों के उपार्जित अवकाश प्रार्थना पत्रों पर कुल शेष देय उपार्जित अवकाश की सूचना अभिलेखीय आधार पर अंकित न कराकर सम्बन्धित पुलिस कर्मी द्वारा दिये गये स्वघोषणा पत्रों के आधार पर कार्यालयों द्वारा अंकित कर / पुलिस कर्मियों से भी अंकित कराकर प्रार्थना पत्रों को मुख्यालय प्रेषित कर दिया जाता है। पुलिस कर्मियों के कुल शेष देय उपार्जित अवकाश की सूचना उपलब्ध न होने की दशा में उनके गृह जनपद से पत्राचार कर कुल शेष देय उपार्जित अवकाश की सूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही उन प्रार्थना पत्रों को मुख्यालय अग्रसारित किया जाना चाहिए, परन्तु ऐसा न करके सम्बंधित कार्यालयों द्वारा आधे अधूरे प्रार्थना पत्रों को मुख्यालय प्रेषित कर अनावश्यक पत्राचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है।

आप स्वयं अवगत हैं कि कार्मिकों के सेवा अभिलेखों के बिना सत्यापित सूचना के अवकाश स्वीकृत किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

समसंदर्भ में अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों को निर्देशित कर दें कि वह भविष्य में सम्बन्धित कार्मिकों के सेवा अभिलेखों के बिना सत्यापित सूचना के अवकाश प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति हेतु मुख्यालय प्रेषित न किया जाय।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(प्रकाश स्वरुप पाण्डेय)
आई0पी0एस0
अपर आयुक्त (पुलिस) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या:व दिनांक: उक्त।
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी राज्य कर मुख्यालय लखनऊ को आयुक्त महोदया के अवलोकनार्थ।
2- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

अपर आयुक्त (पुलिस) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।

01/06/22
957